

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम— जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में पजियाणा घण्टियाल मोटर मार्ग का विस्तार। लम्बाई 6.00 किमी०।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गोरखपुर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गोरखपुर

उपखण्ड बोरमंडा पश्चिम के अन्तर्गत रायचूर तालिक्वाड़ा, रायचूर को गेज-
- ८० वन क्षिति वन भूमि ०.६३५० मिलित एवं सोयम वन भूमि १.१८० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल
- ३.३३ वन भूमि। इन क्षेत्रों में १५ प्रयोजका एजेन्सी के नाम में हस्ताक्षरित किये जाने हेतु
- अधिष्ठित जनजाति और अन्य सुसम्पन्न वनवासी (वन अधिकारों की मागदारों) अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत उपखण्ड
- समिति, (तहसील बोरमंडा) की दिनांक १५-११-१५ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
की नियम 2008 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____
जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में
स्थायी सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

[illegible]

एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के एनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। जस्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संविगत उप प्रशासकीय न्यायाधिकारी, राजस्थान द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से जानकारी को माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि उप अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/संघात द्वारा अनारक्षित ज़मीनी की जा चुकी प्रकरण में उपलब्ध सारी वन अधिकार समिति द्वारा अनारक्षित ज़मीनी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डी. १४ परियोजना के अन्तर्गत पु. नि. का. रा. १४ मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु १.१४ से वन भूमि की १४ हेक्टेयर जमीन को जलविद्युत परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड सारीय मूल अधिकार समिति
तहसील- चमोली
जनापद- चमोली
जिलाधिकारी, चमोली को सुवार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय पुनर्अधिकार समिति
तहसील- बोरासो
जन्माद- 24/05/2017

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- ~~खेती-बगैची-मोटर मार्ग के निर्माण~~ पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

ग्राम पंचायत का नाम:-

तहसील गैरसैण, जनपद-बगौली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बगौली उत्तराखण्ड में गैरसैण- पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि आरक्षित वन भूमि-1.1.2.13. है 0 सविल वन भूमि-1.1.2.13. है 0 कुल 1.1.2.13. है 0 का ग्राम्य विकास विभाग/संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 1.8.11 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 1.1.2.13. है 0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

80

ग्राम सचिव



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ सलग्न किया जाना है।

प्रपत्र-23.1-

दिनांक 18/11/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नाम- बरौली

क्र.सं.	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ-ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीम. प्रसाद दिनकुमार / श्रीम. लालू राऊ	प्रसाद
2	श्रीम. रामचंद्र / श्रीम. देवेंद्र	रामचंद्र
3	श्रीम. शंकर / श्रीम. मोहन	शंकर
4	श्रीम. मोहन / श्रीम. रामचंद्र	मोहन
5	श्रीम. देवेंद्र / श्रीम. रामचंद्र	देवेंद्र
6	श्रीम. रामचंद्र / श्रीम. देवेंद्र	रामचंद्र
7	श्रीम. देवेंद्र / श्रीम. रामचंद्र	देवेंद्र
8	श्रीम. रामचंद्र / श्रीम. देवेंद्र	रामचंद्र
9	श्रीम. देवेंद्र / श्रीम. रामचंद्र	देवेंद्र
10	श्रीम. रामचंद्र / श्रीम. देवेंद्र	रामचंद्र
11	श्रीम. देवेंद्र / श्रीम. रामचंद्र	देवेंद्र
12	श्रीम. रामचंद्र / श्रीम. देवेंद्र	रामचंद्र
13	श्रीम. देवेंद्र / श्रीम. रामचंद्र	देवेंद्र
14	श्रीम. रामचंद्र / श्रीम. देवेंद्र	रामचंद्र
15	श्रीम. देवेंद्र / श्रीम. रामचंद्र	देवेंद्र
16	श्रीम. रामचंद्र / श्रीम. देवेंद्र	रामचंद्र
17	श्रीम. देवेंद्र / श्रीम. रामचंद्र	देवेंद्र
18	श्रीम. रामचंद्र / श्रीम. देवेंद्र	रामचंद्र
19	श्रीम. देवेंद्र / श्रीम. रामचंद्र	देवेंद्र
20	श्रीम. रामचंद्र / श्रीम. देवेंद्र	रामचंद्र
21	श्रीम. देवेंद्र / श्रीम. रामचंद्र	देवेंद्र
22	श्रीम. रामचंद्र / श्रीम. देवेंद्र	रामचंद्र
23	श्रीम. देवेंद्र / श्रीम. रामचंद्र	देवेंद्र
24	श्रीम. रामचंद्र / श्रीम. देवेंद्र	रामचंद्र
25	श्रीम. देवेंद्र / श्रीम. रामचंद्र	देवेंद्र
26	श्रीम. रामचंद्र / श्रीम. देवेंद्र	रामचंद्र
27	श्रीम. देवेंद्र / श्रीम. रामचंद्र	देवेंद्र
28	श्रीम. रामचंद्र / श्रीम. देवेंद्र	रामचंद्र
29	श्रीम. देवेंद्र / श्रीम. रामचंद्र	देवेंद्र
30	श्रीम. रामचंद्र / श्रीम. देवेंद्र	रामचंद्र
31	श्रीम. देवेंद्र / श्रीम. रामचंद्र	देवेंद्र
32	श्रीम. रामचंद्र / श्रीम. देवेंद्र	रामचंद्र
33	श्रीम. देवेंद्र / श्रीम. रामचंद्र	देवेंद्र
34	श्रीम. रामचंद्र / श्रीम. देवेंद्र	रामचंद्र
35	श्रीम. देवेंद्र / श्रीम. रामचंद्र	देवेंद्र
36	श्रीम. रामचंद्र / श्रीम. देवेंद्र	रामचंद्र

सदस्य बरौली
 बरौली 16 नवंबर 2015
 बरौली (बनौली)
 जिला बरौली सदस्य
 13 नवंबर 2015
 बरौली (बनौली)
 AE



परियोजना का नाम— ~~एजेन्सी-सहोली-मोटर मार्ग का निर्माण~~ पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

ग्राम पंचायत का नाम—

तहसील गैरसीण, जनपद—घमोली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद घमोली उत्तराखण्ड में गैरसीण— पजियाणा घण्डियाल मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि आरक्षित वन भूमि—1.2.3.3.50 सिविल वन भूमि—2.4.2.50 कुल 1.2.3.3.50 का ग्राम्य विकास विभाग/संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत 31.12.2015 द्वारा दिनांक 31.12.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राधान्यों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी वन कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम 31.12.2015 के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 1.2.3.3.50 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0

ग्राम सचिव



नोट— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ सलग्न किया जाना है।

प्रपत्र-23.4-

संख्या 18.1.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नाम:- राजगढ़ गांव

क्र.सं.	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री. बलरामचंद्र सिंह	बलरामचंद्र सिंह
2	श्री. काठ्याना सिंह	महेश गोव
3	श्री. मंगल सिंह	मंगल सिंह
4	श्री. विजय सिंह	विजय सिंह
5	श्री. विजय सिंह	विजय सिंह
6	श्री. सुब्रह्मचंद्र सिंह	सुब्रह्मचंद्र सिंह
7	श्री. विजय सिंह	विजय सिंह
8	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
9	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
10	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
11	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
12	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
13	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
14	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
15	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
16	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
17	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
18	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
19	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
20	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
21	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
22	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
23	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
24	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
25	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
26	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
27	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
28	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
29	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
30	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
31	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
32	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
33	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती
34	श्री. श्रीमती श्रीमती	श्रीमती श्रीमती

18.1.15



OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Bageshwar (U.K.)

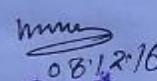
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of **Chamoli** district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss **VINOD KUMAR SHARMA**, District Magistrate, **CHAMOLI** on dated **08-12-2016** at time **12.00 PM** at **CHAMOLI** in which application claiming rights in **Gairsain** area measuring **1.98** hect for the construction of **Construction Of Pajiyana Ghandiyal Motor Road** forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Gairsain** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: **Chamoli**

Dated: **08/12/2016**


08/12/16
 Deputy Commissioner-Chairman
 District Level Committee

Government Of Uttarakhand
Office Of the district Collector : Chamoli

No.

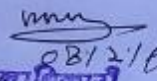
Dated 08-12-2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry Of Environment and forest (MOEF) , Government of India's letter No - 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short)on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.092 Hect of forest land proposed to be diverted in favor of P W D Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Pajiyana - Ghandiyal Motor Road 6.00 Km Under P W D Gairsain (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Gairsain Tehsils .

It is further certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.092 hact of civil area proposed for diversion .A copy of records of all consultations and meetings of the forest Right Committees ,Gram Sabha(s) sub-Division Level committee(s) and District level Committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.	there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.	there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers . there is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file .
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities .	there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.


Signature 08/12/16
(Full name of the official seal of District Collector)

प्रारूप-30.4

दिनांक 17/01/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रामदा मल्ला (महराँव)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मंगलसिंह S/o मदनसिंह	मंगल सिंह
2-	विजयसिंह S/o बागसिंह	विजय सिंह
3-	कमला देवी W/o राजजीतसिंह	कमला देवी
4-	विजयसिंह S/o चौहानसिंह	विजय सिंह
5-	बागिची देवी W/o हरीसिंह	बागिची देवी
6-	कुमा देवी W/o जलजलसिंह	कुमा देवी
7-	हरी देवी W/o बादरीराम	हरी देवी
8-	दीपा देवी W/o विरेन्द्रसिंह	दीपा देवी
9-	दीपसिंह S/o रामासिंह	दीप सिंह
10-	केदारसिंह S/o जलजलसिंह	केदार सिंह
11-	रजसालसिंह S/o उमरसिंह	रजसालसिंह
12-	नरनारायणसिंह S/o राजसिंह	नरनारायणसिंह
13-	विजयसिंह S/o कलसिंह	विजयसिंह
14-	शकरसिंह S/o मुकेशसिंह	शकरसिंह
15-	नारायणसिंह S/o केदारसिंह	नारायण सिंह
16-	देवासिंह S/o जमनासिंह	देवासिंह
17-	स्वामीन्द S/o हरीदत्त	स्वामीन्द

80/-

